

(153)

(154) S.D

राजस्वमंडल नियन्त्रण कोर्ट
न्यायालय श्रीमान् अच्युत महोदय रीवा तथा श्रीवा म.प. ।



- 1- गेंदलाल तनय लक्ष्मण उम्र 45 वर्ष पेशा कृषि,
- 2- परेण्या जोक्काल पटेल उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम ऊंची तहसील -
मजांज ज़िला रीवा म.प.

— निगरानी कर्ता गण ।

बाम

- 1- बाल्मीकी तनय लक्ष्मण पटेल उम्र 50 वर्ष दोनों निवासी ग्राम ऊंची
- 2- रामरेश तनय लक्ष्मण पटेल उम्र 49 वर्ष तहसील मजांज ज़िला रीवा म.प.

अधिकारक श्री जी.वी.पटेल

अधिकारक ठारापुर

दीवा. दि. 16-4-12

MV
16-4-12

— गैर निगरानी कर्ता ।

निगरानी विस्फू आदेश श्रीमान् अपर क्लोक्टर रीवा
के राजस्व निगरानी प्रकरण क्र. 316327/10-11
आदेश दिनांक 10-4-2012 से परिवेद्ध होकर
अन्तर्गत धीरा 52 म.प. भ. राजस्व संदिता 1959 इ.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं :-

- 1- यहींक मातहत न्यायालय का आदेश दिनांक 10-4-2012 नियम -
प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।
- 2- यहींक मातहत न्यायालय का न्यायालय अनुबंधागीय अधिकारी मजांज

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुबत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक

R 1173/II(2)

(खण्ड)

२५ जूलाई २०१८

स्थान तथा
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

प्रकारणी एवं
अधिभावकों के
हस्ताक्षर

6/2/19

इस प्रकरण में दिनांक १५/७/१८ को अमरपक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी..... के प्रकरण क्रमांक ३१६/३२२४/४४ में पारित आदेश दिनांक १०/८/०२ के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र०० भूराजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है। अतः नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक २५/८/१९ को रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।

✓ 6/2/19
सदस्य